

नर्मदापुरम | इटारसी | पिपरिया | पचमढी | सोहागपुर | सिवनी-मालवा | माखननगर | बनखेड़ी

हरिभूमि न्यूज ►► नर्मदापुरम

A photograph showing the interior of a damaged building. The roof has collapsed, and there is a large pile of debris, including bricks and wood, in the center. A person is visible standing near the debris. The walls are made of brick and appear damaged. There are some white plastic containers or bags in the foreground.

मेरी अमी मामले को दिखाता हूँ और इस संबंध में तहसीलदार से बात करके इसकी जानकारी लेते हैं। इसके बाद ही आगे कुछ कहा जाएगा।
देवेन्द्र प्रताप सिंह सिटी मजिस्ट्रेट नर्मदापुरम

स्वातंत्र्य योजना के वैधानिक दिशा-निर्देशों के अनुसार 2018 के पूर्व से ही संसद में कई के दौरान नये पर पाए गए गैरमिशन कवच के आधार पर ही संपत्ति का मालिकाना हक जमा किया जाना अनिवार्य था। प्राथमिक सर्वे और रिकॉर्डिंग इसी आधार पर तैयार हुआ थे लेकिन आरोप है कि उत्तेजी के प्रतिरोधन चाचा एन पीता को अनुचित लाभ पहुंचाने की नीयत से शाकायुक्त अभिलेखों में बड़े पैमाने पर हेरफेर किया गया। 15 दिन में फर्जी प्रकरण, प्राकृतिक न्याय की सुनवाई अटहलानी का कोई पड़ोश मुकेश्वर चले और उन्ने परिवार का आरोप है कि उन्हें जबरे बेखुश करने के लिए राजस्व अधिकारियों ने धारा ६१-121 के रहत कार्यवाहीमें स्वर पर ही आनन-फौनन में फर्जी प्रकरण तैयार किया। पडित पक्ष को न तो कोई विधिक नोटिस दिया गया और न ही अपना पक्ष रखने का कोई अवसर मिला। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की धृष्टिया उठते हुए, भारी बाइस्थि के बीच रातो रात बुजुर्गजन चलाकर करण अधिराज्या बना दिया गया। निती शैलयल का निर्माण केंद्र सरकार के ‘स्ट्रथ भारत मिशन’ के रहत करया गया था, उन्ने प्रशासनिक असले में बिना वैद्य सीमांकन के तोडकर केंद्र की योजना का खुला उपहास उडया।

हरिभूमि न्यूज ►► इटारसी

हरिभूमि न्यूज ►► इटारसी



जिलाध्यक्ष मयंक चौरे, प्रणीत मिश्रा, विशाल बड़कुर, उत्सव दुबे, अर्चित नामदेव, निहाल ठाकुर और मोहम्मद आमिर सहित कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

हरिभूमि न्यूज ►► इटारसी

करने पर ऊर्जा प्रभार में 20 प्रतिशत की विशेष छूट दी जा रही है। फरवरी से जुलाई 2026 तक के छह महीनों में उपभोक्ताओं को 2 करोड़ 90 लाख 38 हजार रुपये की भारी छूट का लाभ मिला है। पवार ने धीरियाओं दूर कर रहे हुए स्पष्ट किया कि स्मार्ट मीटर लगाने के बाद परिसर में आकर रीडिंग लेने की आवश्यकता नहीं होती।

हरिभूमि न्यूज ▶▶ नर्मदापुरम

हेल्पालइन में की थी जिसके बादवाह कारवाही करते
खाद्य विभाग ने दुरंत कारवाही करते
हुए प्रयोगशाला से इसकी चेकिंग की
इसमें गूबड़ई पाई गई उनके पास
कोई पंजीयन नहीं पाया गया। इसको
लेकर खाद्य विभाग ने नोटिस भी
थमाया है। इसके साथ ही आसपास
न्यवस्था भी देखी गई। अधिकारियों
के कही की मामला सक्षम व्यायालययन
के समक्ष भी पेश किया जाएगा और
इसके बाद आगे की कार्यवाही होगी
फिलहाल प्रदिष्टान को बंद कर दिया
गया है।

हरिभूमि न्यूज ▶▶ इटारसी

इधर, वार्ड क्रमांक 13 की पार्षद एवं सभापति अमृता मनीष ठाकुर ने सीएमओ के निरीक्षण की सूचना उन्हें नहीं दिए जाने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि वार्ड के निर्वाचित जनप्रतिनिधि को निरीक्षण की जानकारी दी जाती तो मौके पर सफाई और पेयजल से जुड़ी

हरिभूमि न्यूज ►► नर्मदापुरम

The image shows the exterior of the SIVA DENTAL CLINIC. The building has a modern design with large glass windows and a prominent sign that reads "SIVA DENTAL CLINIC". Below the main sign, there is a smaller sign that says "DENTAL CLINIC". The entrance is visible, and there are some plants and a car parked in front of the building.

होटल पर भी कार्रवाई की मांग

प्रकरण नं०

इनका कहना है

गौरव बुंदेला, थाना प्रभारी नर्मदापुरम

हरिभूमि न्यूज ►► इटारसी

जिलाध्यक्ष मयंक चौरै, प्रणीत मिश्रा, विशाल बड़कुर, उत्सव दुबे, अर्चित नामदेव, निहाल ठाकुर और मोहम्मद अमीर सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

हरिभूमि न्यूज ►► इटारसी

व्यापारियों ने 30 साल पुरानी चीज वाली दुकानों को गड़बड़ाइ-कड़बड़ाइ कर अनुसार रजिस्ट्री कर मालिकाना कर (प्रो-होल्ड) देने की मांग रखी। वधवाएँ ने आश्वसन दिया है कि उसके लिए राज्य शासन भेजे विधिवत प्रस्ताव बनाकर भेज जाएगा और शासन की स्वीकृति मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इससे जहाँ नगरपालिकाओं को राजस्व मिलेगा, वहीं व्यापारियों को भी बार-बार होने वाली

पेशानियों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही, पाँचवीं कक्षा तक के लिए दुकानों के नामांतरण की प्रक्रिया को भी सरल बनाने पर सहमति बनी है। दुकानों के लिए पत्र लगाई जा रही हैं। भारी पेनाल्टी को लेकर व्यापारियों ने अपनी पेशानी साझा की। इस पर जनप्रतिनिधियों ने राहत का संकेत देते हुए कहा कि जो व्यापारी अपना बकाया मूल किराया जमा कर देंगे, उनकी पेनाल्टी माफ़ी और अन्य अपातियों को लेकर सीएमओ के साथ बैठकर उचित समाधान निकाला जाएगा। सिंधी व्यापार महासंघ के अध्यक्ष राहुल चेलानी ने इस बैठक को बेहद सार्थक बताया। उन्होंने कहा कि विधायक के समक्ष रखी गई अधिकांश मांगों पर तुरंत सहमति बन गई है। इससे सरकारत्मक निराकरण हो जाएगा।

हरिभूमि न्यूज ►► इटारसी

भरपूर व्यवस्था रहेगी। बच्चों और महिलाओं के लिए विशेष फन गेम्स और मनोरंजन के साधन उपलब्ध रहेंगे। फन गेम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।

इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा और संचालन श्री गौड़ मालवीय ब्राह्मण समाज महिला मंडल संगठन द्वारा किया जा रहा है। संचालन की अध्यक्ष अर्चना मालवीय के एवं सचिव किरण मालवीय के नेतृत्व में महिला मंडल की पूरी टीम तैयारियों में जुटी हुई है। आयोजन समिति ने समाज के सभी बंधुओं और मातृश्रम से अपीला है कि वह अपने अपने बच्चों और परिवार सहित अधिक से अधिक संख्या में आनंद में मध्याह्न पर अपनी सहभागिता दर्ज कर इस आयोजन को ऐतिहासिक रूप से सफल बनाएं।

खबर संक्षेप

मृतक के पुत्र को मिला 40 लाख रुपये का वलेम



शाहपुर। एसबीआई की शाहपुर शाखा ने अपने ग्राहकों के लिए एक बार फिर बैंकिंग सेवाओं के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। बैंक की ओर से संचालित दुर्घटना बीमा (पीएआई) योजना के अंतर्गत, एक दिवंगत ग्राहक के परिवार को 40 लाख की बीमा राशि का चेक सौंपकर आर्थिक संबल प्रदान किया गया। शाखा प्रबंधक सशेश वर्मा ने बताया कि बैंक के ग्राहक प्रमिला धुर्वे ने इस योजना के तहत मात्र 2000 के प्रीमियम पर अपना बीमा करवाया था। दुर्भाग्यवश, सांप के काटने से उनका निधन हो गया। बीमा शर्तों के अनुसार, बैंक ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दावे की प्रक्रिया पूरी की। इस दौरान मृतक के नॉमिनी उनके चार साल के पुत्र देविक धुर्वे के पिता रामलाल को चालीस लाख लाख रुपए का चेक भारतीय स्टेट बैंक के बैतूल क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक सुदीप मुसरे द्वारा प्रदान किया गया।

बैंक कर्मियों का देशव्यापी आंदोलन आज

बैतूल। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस (यूएफबीयू) के आह्वान पर देशभर के बैंक अधिकारी एवं कर्मचारी आज 11 सितंबर को राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर रहेंगे। बैतूल में भी बैंक अधिकारी-कर्मचारी पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के सामने एकजुट होकर हड़ताल एवं प्रदर्शन करेंगे। जिले के केसरा बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, यूको बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) और बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी-कर्मचारी आंदोलन में सहभागिता करेंगे। बैंक यूनियनों की प्रमुख मांगों में पांच दिवसीय बैंकिंग व्यवस्था शीघ्र लागू करना, प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) से जुड़े मुद्दों का समाधान और पेंशन से संबंधित विभिन्न लंबित मांगों का निराकरण शामिल है। यूनियन नेताओं के अनुसार सितंबर में तीन दिवसीय आंदोलन भी प्रस्तावित है। मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं होने की स्थिति में 26 अक्टूबर से अतिशक्तिशाली हड़ताल का निर्णय लिया गया है। मध्यप्रदेश बैंक कर्मचारी संघ (एमपीबीईए) के महासचिव साथी वीरू शर्मा, खंडवा जौन अध्यक्ष एवं मध्यप्रदेश बैंक यूनियन के संयोजक साथी प्रमोद चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में बैतूल में प्रदर्शन आयोजित किया जाएगा। प्रदर्शन में यूनियन बैंक से साथी देशपांडे जी, राजेश, साथी अक्षय, साथी मनोज वाघपा, साथी रूपाली, साथी अभिलाष, सनी, प्रशांत, सुजन शर्मा तथा एसबीआई से साथी घनश्याम जी सहित विभिन्न बैंकों के अधिकारी-कर्मचारी शामिल होंगे। यूनियन नेताओं ने बैंक साथियों से एकजुटता, अनुशासन और पूरी ताकत के साथ आंदोलन में भाग लेने की अपील की है, ताकि लंबित एवं जायज मांगों को प्रभावी ढंग से सरकार के समक्ष रखा जा सके।

बिजली बिलों के भुगतान के लिए विभाग द्वारा किया जा रहा पत्राचार सरकारी विभागों पर बिजली बिल का करीब 20 करोड़ रुपए बकाया



हरिभूमि न्यूज़ ►►बैतूल

आम उपभोक्ता अगर बिजली बिल भरने में लेट हो जाए तो अमला कनेक्शन काटने पहुंच जाता है। दूसरी ओर सरकारी विभाग हैं, इन पर करोड़ों रुपए लंबे समय से बकाया हैं। इसके बाद भी सिर्फ पत्र ही लिखे जा रहे हैं। विद्युत वितरण कंपनी के अगस्त 2026 तक के बकाया आंकड़ों के मुताबिक जिले में विभिन्न सरकारी विभागों के 8079 विद्युत कनेक्शनों पर 23 करोड़ 8 लाख 86 हजार रुपए की बिजली बिल राशि बकाया है। इसके मुकाबले विभागों द्वारा अब तक महज 2 करोड़ 69 लाख 79 हजार रुपए का भुगतान किया गया है, यानी सरकारी विभागों पर अभी भी 20 करोड़ 39 लाख 7 हजार रुपए से अधिक की राशि बकाया है। विद्युत वितरण कंपनी ने सभी सरकारी विभागों की निर्धारित समय पर बिजली बिलों का भुगतान करने की ह्दियत दी है। कंपनी का स्पष्ट संकेत है कि लंबे समय से बिल जमा नहीं करने वाले विभागों के खिलाफ कनेक्शन विच्छेदन की कार्रवाई की जा सकती है। दरअसल लगातार बढ़ते बकाया के चलते विद्युत वितरण कंपनी ने अब सख्ती शुरू कर दी है। तीन

माह से अधिक समय से बिजली बिल जमा नहीं करने वाले सरकारी विभागों के कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जा रही है। कंपनी ने बकायादार सरकारी दफ्तरों और विभागों की सूची भी तैयार कर ली है। बकाया राशि की वसूली के लिए कुछ कनेक्शनों की बिजली लाइन काटने के आदेश जारी किए गए हैं। इसका असर सरकारी सेवाओं के साथ-साथ ग्रामीण पेयजल जैसी आवश्यक व्यवस्थाओं पर भी पड़ सकता है।

आम उपभोक्ताओं के कनेक्शन कट विभागों से पत्राचार

बिजली कंपनियों का दोहरा रवैया भी सामने आता रहता है। कंपनियों के कई अधिकारी विभागों से बकाया बिजली बिल वसूलने में पीछे हट रहे हैं। कार्रवाई के नाम पर नोटिस, पत्राचार का खेल रहे हैं। वसूली नहीं चुकाने वाले छोटे उपभोक्ताओं की बिजली काट दी जाती है। जोड़ने के नाम पर शुल्क लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ लंबे समय से सरकारी विभागों पर करोड़ों रुपये की राशि बकाया है। यह विभाग बिजली बिलों का भुगतान करने में भी देरी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

जानकारों का कहना है कि आमजनता पर बकाया होने पर विभाग कनेक्शन कट कर देता है, जबकि आमतौर पर इस तरह की कार्रवाई विभागों, उनसे जुड़ी संस्थाओं के खिलाफ नहीं की जाती।

पंचायतों के 2804 कनेक्शनों पर 16 करोड़ बकाया

आंकड़ों में सबसे ज्यादा बकाया पंचायत विभाग पर सामने आया है। पंचायतों के कुल 2804 बिजली कनेक्शनों पर 17 करोड़ 87 लाख 38 हजार रुपए का बिजली बिल बकाया है। इसमें से सिर्फ 1 करोड़ 33 लाख 82 हजार रुपए का भुगतान हुआ है, जबकि 16 करोड़ 53 लाख 56 हजार रुपए अभी भी बकाया हैं। पंचायत स्तर पर बकाया का सीधा असर ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था पर पड़ने लगा है। लाखों रुपए के बिजली बिल जमा नहीं होने के कारण विद्युत वितरण कंपनी ने नल-जल योजनाओं से जुड़े कनेक्शनों की लाइन काटना भी शुरू कर दिया है। बिजली आपूर्ति बाधित होने से कई ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की व्यवस्था प्रभावित होने की स्थिति बन रही है। ऐसे में सरकारी विभागों की बिल भुगतान में लापरवाही का खामियाजा अब ग्रामीणों को पेयजल संकट के रूप में भुगतना पड़ सकता है।

इनका कहना है

सरकारी विभागों पर बकाया राशि होने पर कनेक्शन काटने के आदेश जारी हुए हैं। हमने सभी विभागों को समय पर बिजली बिलों का भुगतान करने के लिए पत्र लिखा है। यदि भुगतान नहीं होता है तो लाइन काटने की कार्रवाई की जा सकती है।

- बीएस बघेल, अधीक्षक यंत्री विद्युत वितरण कंपनी

ट्राइबल विभाग भी बड़े बकायेदारों में

ट्राइबल वेलफेयर विभाग भी बिजली विभाग की सूची में बड़े बकायेदारों में शामिल है। ट्राइबल वेलफेयर विभाग पर बिजली विभाग का करीब 1 करोड़ 87 लाख 52 हजार रुपए का बिजली बिल बकाया है। विभाग के 1501 कनेक्शनों में से अब तक महज 15 लाख 11 हजार रुपए का भुगतान हुआ है, जबकि 1 करोड़ 72 लाख 40 हजार रुपए बाकी हैं। इसी तरह शिक्षा विभाग के 1132 कनेक्शनों पर 1 करोड़ 11 लाख 33 हजार रुपए का एरियर है। इनमें से 60 लाख 75 हजार रुपए जमा किए गए हैं और 50 लाख 58 हजार रुपए अभी भी बकाया हैं। इसके अलावा महिला एवं बाल विकास विभाग के 1628 कनेक्शनों पर 66.77 लाख, नपा/नगर पंचायत के 325 कनेक्शनों पर 61 लाख, स्वास्थ्य विभाग के 240 कनेक्शनों पर 31.95 लाख और पुलिस विभाग के 97 कनेक्शनों पर 13.55 लाख रुपए बकाया हैं। अन्य विभागों पर भी लाखों रुपए की देवदारों दर्ज हैं।

बिजली बिलों के भुगतान के लिए सिर्फ पत्राचार

बिजली विभाग द्वारा सरकारी विभागों से निर्धारित समय में बिजली बिलों का भुगतान करने के लिए पत्राचार किया जाता है। लेकिन इसके बाद भी विभाग इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं। यही वजह है कि सरकारी विभागों पर लंबे समय से करोड़ों रुपये के बिजली बिल बकाया हैं। इन बिलों की वसूली के लिए नोटिस भी दिए जाते हैं, लेकिन नोटिस का भी कोई असर विभागों पर नहीं पड़ता है। यह जरूर है कि कुछ विभागों द्वारा पत्राचार या नोटिस मिलने के बाद कुछ राशि जमा कर दी जाती है। लेकिन शेष राशि जमा करने में विभाग दिलचस्पी नहीं दिखाते हैं। जिससे विभागों पर बिजली बिलों का बकाया लगातार बढ़ता जा रहा है।

लोगों को उत्कृष्ट सेवाएं देने के निर्देश सीएमओ नितिन बिजवे ने संभाला नपा सारनी का पदमार



हरिभूमि न्यूज़ ►►सारनी

नगर पालिका परिषद सारनी में नवागत सीएमओ नितिन बिजवे द्वारा पदभार ग्रहण किया। प्रभार ग्रहण के साथ ही श्री बिजवे एक्शन मूड में दिखाई दिए। उन्होंने विकास कार्यों को गति देने और नागरिकों को उत्कृष्ट सेवाएं देने के निर्देश दिए। नगर पालिका परिषद सारनी में मुख्य नगर पालिका अधिकारी

का प्रभार गुरुवार 10 सितंबर को अपराह्न मुख्य नगरपालिका अधिकारी नितिन बिजवे ने नगर पालिका परिषद सारनी का पदभार ग्रहण किया। प्रभारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी हितेश शाक्य ने उन्हें प्रभार सौंपा। पदभार

ग्रहण करने के उपरांत ही मुख्य नगरपालिका अधिकारी नितिन बिजवे ने निकाय के अधिकारी, कर्मचारियों की औपचारिक बैठक ली एवं शासकीय योजनाओं एवं शासकीय कार्यों की जानकारी हासिल की। उन्होंने शासन की योजनाओं को समयसीमा में पूर्ण करने, विकास कार्यों को गति देने और आम नागरिकों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के निर्देश दिए।

5 दिन में 125 किमी की पदयात्रा मातारानी के भक्त ग्राम कोटमी शाहपुर से पहुंचे सलकनपुर धाम



शाहपुर। आज गुरुवार को लगभग 200 मातारानी के भक्तों के द्वारा पैदल यात्रा 125 किलोमीटर की 5 दिन में पूरी करेंगे और 14 सितंबर को सलकनपुर मंदिर में पूजा अर्चना विधि विधान के साथ करने के बाद अपने ग्रह ग्राम वापस पहुंचेंगे। पैदल पद यात्रियों का दल का यह 27 वां वर्ष है। दल के प्रमुख गुन्नु कर्जोडे ने बताया कि वह यह पैदल यात्रा अपने क्षेत्र में सुख शांति और वर्ष भर सुखमय जीवन के लिए सभी के द्वारा की जाती है। उन्होंने बताया कि माता रानी उन्हें सुखों से भरपूर रखती है। सभी पदयात्रा दल डी जे, बाजे के साथ माता रानी के भजनों पर झूमते हुए, नृत्य करते हुए इस यात्रा को सुमम बनाते हुए शुभ यात्रा करते हैं। जिसमें ग्राम कोटमी के पूर्ण सरपंच मोहन धुर्वे, राजा धुर्वे, शाहपुर से नीरज परसाई और हीरापुर ग्राम से भी, और अन्य आसपास के ग्रामों के भक्तगण पदयात्रा को कर रहे हैं।

गोवंश से भरी इंडिका का 30 किमी पीछा कर पकड़ा, अंधेरे में दो आरोपी फरार रस्सियों से पैर बांधकर एक-दूसरे के ऊपर लादकर रखा था

हरिभूमि न्यूज़ ►►बैतूल

राष्ट्रीय हिंदू सेना की सूचना पर घोड़ाडोंगरी पुलिस ने गोवंश तस्करी के मामले में कार्रवाई करते हुए पांच गांवों से भरी टाटा इंडिका कार पकड़ी। वाहन का करीब 30 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद घोड़ाडोंगरी रेलवे गेट के पास नाकाबंदी कर कार को रोका गया। नाकाबंदी देखकर कार में सवार कथित दो आरोपी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर वाहन छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। राष्ट्रीय हिंदू सेना के सोशल मीडिया प्रभारी सत्यम विश्वकर्मा के अनुसार प्रदेश संयोजक पवन मालवीय को सूचना मिली थी कि रानीपुर क्षेत्र के सोभापुर-मेहकार गांव की ओर से काले शीशों वाली टाटा इंडिका में गोवंश भरकर महाराष्ट्र ले जाया जा रहा है। सूचना पर प्रदेश अध्यक्ष दीपक मालवीय, जिला युवा मंत्री राज यादव सहित कार्यकर्ता रानीपुर रोड के चिकलार क्षेत्र पहुंचे। वाहन को रोकने का प्रयास किया गया तो चालक कार को रानीपुर की ओर तेज गति से भगाने लगा। दीपक मालवीय ने पुलिस कंट्रोल रूम के साथ रानीपुर और घोड़ाडोंगरी पुलिस को सूचना दी और कार्यकर्ताओं ने पीछा जारी रखा। जिला युवा महामंत्री राज पाटीदार के अनुसार घोड़ाडोंगरी में पुलिस और संगठन की सहायता से रेलवे गेट के पास नाकाबंदी कर



कार को पकड़ लिया गया। कार की पिछली सीट हटाकर पांच गांवों को चारों पेर रस्सियों से बांधकर एक-दूसरे के ऊपर लादा गया था। संगठन पदाधिकारियों और पुलिस की मदद से सभी गांवों को बाहर निकालकर घोड़ाडोंगरी की गौशाला पहुंचाया गया, जहां पशु चिकित्सक से उपचार कराया गया। प्रखंड गौरक्षा प्रमुख आशीष धोटे (छोटे) ने बताया कि गोवंश को जिस तरह से भरा गया था, उससे प्रथम दृष्टया उन्हें अवैध रूप से महाराष्ट्र ले जाने की आशंका है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक मालवीय के आवेदन पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। संगठन ने फरार आरोपियों की गिरफ्तारी और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। कार्रवाई के दौरान घोड़ाडोंगरी चौकी प्रभारी एसआई आशीष कुमरे, प्रदेश अध्यक्ष दीपक मालवीय, प्रदेश संयोजक पवन मालवीय, युवा महामंत्री राज पाटीदार, युवा मंत्री राज यादव आदि रहे मौजूद।

दुष्कर्म मामले में भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने एसपी से की मुलाकात

बैतूल। जिले के घोड़ाडोंगरी विकासखंड के एक निजी स्कूल में सुरक्षार्मी द्वारा नाबालिग बच्चों के साथ हुई दुष्कर्म की घटना को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष सुधाकर पंवार के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने इस हदय विदारक घटना पर गहरा आक्रोश व्यक्त करते हुए पुलिस अधीक्षक से आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी वैधानिक कार्यवाही करने का आग्रह किया। भाजपा प्रतिनिधियों ने कहा कि स्कूल जैसे सुरक्षित परिसर में इस प्रकार की घटना बेहद निंदनीय है और इससे आभिभावकों में भय का माहौल है। उन्होंने मांग की कि मामले की निष्पक्ष एवं सुक्ष्मता से जांच कर आरोपी के विरुद्ध ठोस कार्यवाही की जाए, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगे। पुलिस अधीक्षक ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि पुलिस मामले को गंभीरता से ले रही है और आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपी पर कठोर कार्रवाई की मांग मासूम के साथ दुराचार के विरोध में सड़क पर उतरी एनएसयूआई



हरिभूमि न्यूज़ ►►बैतूल

5 वर्षीय मासूम बच्चों के साथ हुई दुराचार की घटना के विरोध में एनएसयूआई ने सड़क पर उतरकर विरोध रैली निकारी। रैली के बाद कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर घटना के आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की। जिला उपाध्यक्ष नितेश धुर्वे ने ज्ञापन में कहा कि एनएसयूआई इस घटना की घोर निंदा करता है। उन्होंने प्रशासन से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के साथ ही जिस स्कूल में यह घटना हुई है, उसकी मान्यता रद्द करने की मांग की। एनएसयूआई ब्लॉक अध्यक्ष अमन खान ने कहा कि मासूम बच्चों के साथ हुआ यह कृत्य समाज के लिए कलंक है। उन्होंने आरोपी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए प्रकरण को फास्ट ट्रैक कोर्ट में पेश कर जल्द से जल्द कठोर सजा दिलाने की मांग की। एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने कहा

कि ऐसी घटनाओं में त्वरित और सख्त कार्रवाई से ही पीड़ित परिवार को न्याय और समाज में प्रभावी संदेश दिया जा सकता है। ज्ञापन सौंपने वालों में ऋषि दीक्षित, जंकी शाह, पूर्णिमा वाघमारे, सचिन अलुलकर, विकास मेहरा, आतिफ अली, अमित धुर्वे, वंशिका नागले और रानी अहाके सहित दो दर्जन से अधिक छात्र-छात्राएं उपस्थित थे।

आरोपी को फांसी की मांग, आज शिवाजी चौक पर जुटेंगे शहरवासी

बैतूल। 5 वर्षीय मासूम के साथ दुराचार की घटना सामने आने के बाद शहर में आक्रोश है। घटना के विरोध में जागरूक नागरिकों ने आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर आज शुक्रवार दोपहर 12 बजे शिवाजी चौक पर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया है। सामाजिक कार्यकर्ता राजेश गावंडे ने घटना पर दुख जताते हुए कहा कि ऐसे जघन्य अपराधों के दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने शहर के सामाजिक संगठनों, मातृशक्ति, युवाओं और प्रबुद्ध नागरिकों से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील की है। प्रदर्शन के बाद पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि जनता की एकजुट आवाज से प्रशासन तक मांग मजबूती से पहुंचेगी।

कलेक्टर ने माइन क्लोजर एडवाइजरी कमेटी की बैठक में दिए निर्देश माइन क्लोजर फंड से प्रभावित पंचायतों में आजीविका और अधोसंरचना विकास की कार्ययोजना बनाने के निर्देश

हरिभूमि न्यूज़ ►►बैतूल

कलेक्टर डॉ. सौरभ संजय सोनवणे की अध्यक्षता में माइन क्लोजर एडवाइजरी एक्टिविटी के संबंध में बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर ने वेस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड (डब्ल्यूसीएल) के अधिकारियों को निर्देश दिए कि पूर्व में किए गए सभी माइन क्लोजर कार्यों के फंड का व्यवस्थित आंकलन कर प्रभावित पंचायतों में विकास एवं आजीविका से जुड़ी गतिविधियों की समग्र कार्ययोजना तैयार की जाए। कार्ययोजना में संबंधित पंचायतों के जनप्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में सीईओ जिला पंचायत गणेश जायसवाल, जिला खनिज अधिकारी मनीष पालेवाल, प्रबंधक एनआरएलएम सतीश पवार सहित डब्ल्यूसीएल के पदाधिकारी, सरपंच, सचिव उपस्थित रहे। कलेक्टर ने कहा कि छत्रपुर 2, शोभापुर और सतपुड़ा 1 के माइन क्लोजर के तहत प्रभावित सभी 7 ग्राम पंचायतों में अधोसंरचना विकास, आजीविका संवर्धन, रिस्कल डेवलपमेंट, इको टूरिज्म, सोलर एनर्जी, महिला सशक्तिकरण, सस्टेनेबल लिविंग एवं पौधरोपण जैसी गतिविधियों



को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि डब्ल्यूसीएल द्वारा सीएसआर के अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियां जिला सीएसआर समिति के अनुमोदन के उपरांत ही संचालित की जाएं, ताकि कार्यों की पुनरावृत्ति न हो और उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। महआ, तेंदूपत्ता और फलदार पौधों का किया जाए रोपण: कलेक्टर ने माइन क्लोजर के अंतर्गत पौधरोपण कार्यों को पूरी तरह व्यवस्थित एवं डिमाकेशन के साथ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्थानीय उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए महआ, तेंदूपत्ता एवं फलदार प्रजातियों के पौधे लगाए जाएं, जिससे भविष्य में ग्रामीणों को इनसे संग्रहण एवं

आजीविका के अवसर भी प्राप्त हो सकें। उन्होंने वाटर स्ट्रक्चर के निर्माण के दौरान जल संरचनाओं को वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित तरीके से विकसित करने तथा अधिक से अधिक जल संग्रहण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में टेरी संस्था द्वारा भोगीखापा, छतरपुर एवं शोभापुर में संचालित सिराई, सेनेटरी नैपकिन निर्माण, ऑर्गेनिक फार्मिंग एवं वर्मी कंपोस्ट जैसी गतिविधियों की जानकारी दी गई। कलेक्टर ने इन गतिविधियों को बेहतर मार्केट लिंकेज उपलब्ध कराने के निर्देश दिए, ताकि स्थानीय स्तर पर शुरू किए गए आजीविका कार्य स्थायी रूप से संचालित हो सकें।

समूह की महिलाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के निर्देश

कलेक्टर ने शोभापुर स्थित कम्प्यूटिटी हॉल को सीएसआर के माध्यम से विकसित करने के निर्देश डब्ल्यूसीएल अधिकारियों को दिए। साथ ही समूह की महिलाओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से संबंधित प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए, ताकि महिलाएं आधुनिक तकनीक से जुड़कर अपनी कार्यक्षमता एवं आजीविका के अवसरों का विस्तार कर सकें। बैठक में अंडर द ट्री संस्था द्वारा मधुमक्खी पालन की अच्छी प्रैक्टिस पर प्रस्तुतिकरण दिया गया। अधिकारियों एवं संबंधित संस्थाओं द्वारा माइन क्लोजर के माध्यम से प्रभावित क्षेत्रों में किए जा रहे विभिन्न विकास एवं आजीविका संबंधी कार्यों की जानकारी भी प्रस्तुत की गई। उन्होंने विक्रमपुर में सड़क, छतरपुर में पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए।

शिक्षा संजीवनी अभियान में सहभागी बने डब्ल्यूसीएल

कलेक्टर ने शिक्षा संजीवनी अभियान के तहत माइनिंग प्रभावित पंचायतों के शासकीय विद्यालयों के उच्चतम में डब्ल्यूसीएल की सक्रिय सहभागिता करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में आवश्यक अधोसंरचना एवं शैक्षणिक सुविधाओं के विकास के लिए स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर कार्ययोजना तैयार की जाए, जिससे विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध हो सके। उन्होंने डिजिटल लर्निंग सेंटर, प्रीकम स्कूल एक्टिविटी के बड़े प्रोजेक्टर सीएसआर से प्रस्तावित करने के निर्देश दिए।

अनुपस्थित कर्मचारियों का काटा वेतन कलेक्टर ने शासकीय कार्यालयों का किया औचक निरीक्षण



बैतूल। कलेक्टर डॉ. सौरभ सोनवणे ने गुरुवार को जनपद पंचायत, मत्स्य, खनिज विभाग सहित अन्य विभागों का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों-कर्मचारियों को व्यवस्थाओं में आवश्यक सुधार लाने के सख्त निर्देश दिए। कलेक्टर डॉ सोनवणे ने जनपद पंचायत के निरीक्षण के दौरान अधिकांश कर्मचारियों के अनुपस्थित मिलने पर नाराजगी व्यक्त की और उन्होंने अनुपस्थित कर्मचारियों के एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने मत्स्य विभाग के निरीक्षण के दौरान रिकॉर्ड रूम में उचित व्यवस्था नहीं पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त की उन्होंने संबंधित अधिकारी को अभिलेखों को व्यवस्थित रखने तथा रिकॉर्ड रूम की व्यवस्थाओं में सुधार के सख्त निर्देश दिए। इसके बाद कलेक्टर ने कार्यालय परियोजना प्रशासक, एकीकृत आवासीय विकास परियोजना तथा खनिज विभाग का निरीक्षण किया। उन्होंने कार्यालयों में दस्तावेजों एवं फाइलों के व्यवस्थित रख-रखाव, साफ-सफाई तथा कार्यस्थल को बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। खनिज विभाग के निरीक्षण के दौरान उन्होंने सभी कक्षों के बाहर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के पदनाम सहित नेम प्लेट लगाने के निर्देश दिए। साथ ही रिकॉर्ड रूम में रखी फाइलों की भी व्यवस्थित रूप से बॉक्स में सुरक्षित रखने के निर्देश दिए।

ग्रामसभा में महिलाओं और ग्रामीणों की उपस्थिति में प्रस्ताव में लगाया आरोप गांव में बेची जा रही अवैध-शराब में केमिकल कीटनाशक और जहरीले पदार्थ की मिलावट

ग्रामीणों का आरोप है कि मिलावटी शराब से अकाल मौतों का सिलसिला निरंतर चल रहा



हरिभूमि न्यूज

मध्यप्रदेश के सागर में जहरीली शराब से मौतों के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप है, वहीं खरगोन जिले के इस आदिवासी अंचल में कमोबेश ऐसा ही खतरा खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि मिलावटी शराब से अकाल मौतों का सिलसिला निरंतर चल रहा है। वहीं,साईंखेड़ा की ग्रामसभा में सरपंच भाईराम चौहान की मौजूदगी में एक प्रस्ताव भी पारित किया है,जिसमें मिलावटी-जहरीली शराब-बिक्री का आरोप लगाया गया है। वहीं, साईंखेड़ा और बांयखेड़ा के महिला-आंदोलनों के बाद कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होने और चोरी-छिपे शराब-बिक्री से ग्रामीणों में नाराजगी है।

उल्लेखनीय है कि ग्राम साईंखेड़ा की महिलाओं ने 7 सितम्बर को स्थानीय थाना पहुंचकर ज्ञापन सौंपा था,जिसमें कच्ची-पक्की शराब के अवैध-परिवहन और बिक्री पर रोक लगाने की मांग की गई थी। इसके

बाद भी वहां शराब करीब डेढ़-दर्जन से अधिक स्थानों से चोरी-छिपे शराब-बिक्री जारी थी। फलस्वरूप 9 सितंबर को ग्राम पंचायत-भवन में ग्रामसभा आयोजित की गई,जिसमें महिलाओं और ग्रामीणों की उपस्थिति में प्रस्ताव पारित किया गया।

जिसमें कहा गया है कि गांव में बेची जा रही कच्ची-पक्की अवैध-शराब में केमिकल, कीटनाशक व जहरीले पदार्थ की मिलावट हो रही है। फलस्वरूप कई बुजुर्ग बीमार पड़ रहे हैं और कई युवाओं की मौत हो चुकी है। जिससे सर्वसम्मति से पूर्ण रूप से शराब-बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाता है। यदि कोई व्यक्ति शराब बेचते पाया गया तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर जेल भेजा जाएगा और 51 हजार रुपये का आर्थिक दंड वसूला जाएगा। सरपंच भाईराम चौहान की उपस्थिति में जीआरएफ सुनील सिसौदिया ने प्रस्ताव का वाचन किया। ग्रामीणों में प्रह्लाद सूर्यवंशी, भीमसिंह तंवर, राजाराम मोये, प्रदीप सिसौदिया, अशोक मोये, कालू मोये,

सुनीता बाई, रेखाबाई, समोतीबाई, कामिनी बाई, देवकीबाई आदि उपस्थित थे।

मंगलवार को पहुंची जनसुनवाई में

वहीं ग्राम बांयखेड़ा की महिलाएं और ग्रामीण मंगलवार को जनसुनवाई में खरगोन पहुंचे थे। उन्होंने जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है,जिसमें ग्रामसभा के शराब-बिक्री पर रोक एवं रू.50 हजार के सामाजिक-अर्थदंड की जानकारी भी दी गई। इसके बाद वे जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय पहुंचे और आबकारी सहायक निरीक्षक सार्थक वर्मा को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने अवैध-शराब बिक्री के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। इसके बाद वे भीकनगांव एसडीएम लोकेश छापरे के कार्यालय पहुंचे, उनके अन्त्यत्र होने से तहसीलदार प्रतापसिंह अजनारे को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई का अनुरोध किया है।

आदतन अपराधी विकास उर्फ मानसम्मान को 6 माह के लिए किया गया जिला बदर

खरगोन। जिले में लोक शांति, जनसुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी गुरु प्रसाद ने आदतन आपराधिक गतिविधियों में लिप्त एक अपराधी के विरुद्ध सख्त कदम उठाते हुए जिला बदर का आदेश पारित किया है। जारी आदेश के अनुसार, सेगांव (थाना ऊन) निवासी 29 वर्षीय अनावेदक विकास उर्फ मानसम्मान पिता धन्नालाल यादव को मध्य प्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 5 (क)(ख) के तहत 06 माह की कालावधि के लिए निष्कासित किया गया है। आदेश प्राप्ति के 48 घंटे के भीतर उसे जिला खरगोन सहित समीपवर्ती जिलों—खंडवा, बड़वाणी एवं इंदौर की राजस्व सीमाओं से बाहर जाना होगा। बिना सक्षम न्यायालय की पूर्वानुमति के इन जिलों की सीमाओं में प्रवेश करने पर संबंधित के विरुद्ध अधिनियम की धारा 14 के तहत वैधानिक दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस अधीक्षक खरगोन द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं साक्ष्यों के अनुसार, अनावेदक वर्ष 2013 से लगातार अवैध आर्म्स एक्ट, एससी/एसटी एक्ट, मारपीट, गाली-गलौज तथा सांप्रदायिक तनाव पैदा करने जैसी गंभीर आपराधिक घटनाओं में सक्रिय रहा है। उसके कृत्यों से आम जनमानस में भय व असुरक्षा का वातावरण बन रहा था और लोग थाने में रिपोर्ट लिखाने तथा गवाही देने से कतराते थे। पूर्व में की गई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के बावजूद उसकी गतिविधियों में कोई सुधार नहीं आ रहा था। प्रकरण में सुनवाई के दौरान न्यायालय द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किए जाने पर भी अनावेदक उपस्थित नहीं हुआ, जिसके बाद प्रस्तुत अभिलेखों एवं साक्ष्यों के कथनों के आधार पर एकपक्षीय विचारोपरांत लोक शांति बनाए रखने के लिए यह निष्कासन आदेश पारित किया गया है।

पांच बॉक्सर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित



खिलाड़ियों ने प्रशिक्षक अंकित गुप्ता के मार्गदर्शन में प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने अपने-अपने वजन वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में अंशुल मंडलोई (75-80 किग्रा), जयंत परिहार (80 किग्रा), अभिनव (32-43 किग्रा), अनुष्का सिंह (80 किग्रा) एवं श्रद्धा (46-48 किग्रा) ने अपने-अपने वजन वर्ग में विजय हासिल कर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चयनित होने का गौरव प्राप्त किया।

सीहोर। स्थानीय शासकीय आवासीय खेलकूद संस्थान में संचालित बॉक्सिंग नोडल खेल प्रशिक्षण केंद्र के पांच बॉक्सरों ने संभाग स्तरीय प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन करते हुए राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए अपना स्थान सुनिश्चित किया है। खेल अधिकारी अताउल्लाह खान ने बताया कि तात्या टोपे स्टेडियम, भोपाल में आयोजित 70वीं संभाग स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में नोडल खेल प्रशिक्षण केंद्र के

कलेक्टर की पहल रंग लाने लगी, मुहिम अब जनसहयोग का रूप ले रही

मिशन बेंच मार्क के तहत सेवानिवृत्त शिक्षक भावसार ने विद्यालय को भेंट किए चार जोड़ी बेंच-डेस्क, श्रीफल व उपहार भेंट कर सम्मान किया गया

हरिभूमि न्यूज

कलेक्टर गुरु प्रसाद की पहल मिशन बेंच मार्क के तहत जिले के विद्यालयों में विद्यार्थियों के लिए बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने की मुहिम अब जनसहयोग का रूप ले रही है। इसी क्रम में माध्यमिक विद्यालय अद्यावन से सेवानिवृत्त हुए शिक्षक श्री राजेन्द्र भावसार ने अपने विद्यालय को चार जोड़ी बेंच-डेस्क समर्पित कर अनुकरणीय पहल की है।

विद्यालय द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में भावसार ने विद्यार्थियों के लिए बेंच-डेस्क भेंट किए। उन्होंने कहा कि विद्यालय में अपने 42 वर्षों के कार्यकाल के दौरान उन्हें विद्यार्थियों और शिक्षक साथियों से जो स्नेह एवं सम्मान मिला, वह उनके लिए सदैव गौरव का विषय रहेगा। सेवानिवृत्ति के अवसर पर विद्यालय के



विद्यार्थियों के लिए कुछ उपयोगी करने की भावना से उन्होंने बेंच-डेस्क समर्पित किए। कार्यक्रम में सान्दीपनि विद्यालय टेमला के प्राचार्य अशोकसिंह पंवार, संकुल प्राचार्य भागीरथ पाटीदार, जनशिक्षक प्रदीप पटेल, महेश मंडलोई, अर्चना पाटीदार तथा प्रधानपाठक मोहनलाल वर्मा सहित अन्य उपस्थित रहे। वक्ताओं ने भावसार के 42

वर्ष के सफल सेवाकाल का उल्लेख करते हुए उनके समय पालन, स्वास्थ्याय, अनुशासन और सकारात्मक व्यवहार को उनकी कार्यशैली की विशेषता बताया। उन्होंने विद्यार्थियों एवं शिक्षकों से भी इन गुणों को अपने जीवन में अपनाने का आह्वान किया।

इस अवसर पर अतिथियों, विद्यालय के

शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने भावसार का शॉल, श्रीफल एवं उपहार भेंट कर सम्मान किया। अभिनंदन पत्र का वाचन शिक्षक रमेश पाटीदार ने किया। आभार शिक्षक रामचंद्र ने माना तथा कार्यक्रम का संचालन शराधेश्वराम पाटीदार ने किया। कार्यक्रम में अजीम प्रेमजी फाउंडेशन से सुश्री श्वेता, अनिता पाटीदार, राजाराम मनाग्रे, पूर्व

सरपंच कैलाश पाटीदार, सरपंच शांता बाई चौहान सहित विद्यालय के विद्यार्थी एवं शिक्षक उपस्थित रहे। मिशन बेंच मार्क के माध्यम से जिले के विद्यालयों में जनसहयोग से बुनियादी सुविधाओं को जड़बूत करने की दिशा में भावसार की महत्वपूर्ण भूमिका सेवानिवृत्त शिक्षकों एवं समाजजनों के लिए भी प्रेरणादायी है।

काहिरी प्लांट से गैस रिसाव : शहरवासियों को अब क्लोरीन नहीं, महज ब्लीचिंग युक्त पानी ही मिलेगा

हरिभूमि न्यूज

शहर में मंगलवार शाम काहिरी फिल्टर प्लांट पर हुए जहरीली क्लोरीन गैस के रिसाव के बाद एक तरफ जहां पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया, वहीं दूसरी तरफ नगर पालिका प्रशासन का कहना है कि शहर में जलापूर्ति के दौरान बीते 10 सालों से क्लोरीन मिलाया ही नहीं जा रहा था, जिस सिलेंडर रिसाव का शिकार हुआ, वह 10 साल पुराना था और उसमें महज थोड़ी-बहुत गैस बची हुई थी।

इधर घटना के अगले दिन बुधवार को हरिभूमि की टीम ने मौके पर पहुंचकर पड़ताल की। घटना स्थल पर हादसे का डर और दहशत का माहौल साफ नजर आ रहा था। राहगीर और आसपास के ग्रामीण खौफ के साथ फिल्टर प्लांट की ओर देख

रहे थे। हालांकि प्लांट का अमला इस बात से बेफिक्र दिखे क्योंकि मंगलवार रात ही विशेष रेस्क्यू टीम ने गैस सिलेंडर में खूटी ठोक दी थी और उसे पानी में डुबो दिया था।

10 साल पुराना था सिलेंडर

जानकारी के अनुसार काहिरी फिल्टर प्लांट में रखा क्लोरीन गैस का सिलेंडर लगभग 10 साल पुराना था। इस 600 किलो क्षमता वाले भारी-भरकम सिलेंडर के पीतल के वाल्व अचानक खराब हो गए, जिससे शाम को गैस का तीरा रिसाव शुरू हो गया। पीले-हरे रंग की जहरीली क्लोरीन गैस हवा में फैलते ही पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई और दहशत का माहौल बन गया। गैस की चपेट में आने से 4 ग्रामीणों को आंखों में तेज जलन और सांस लेने में गंभीर तकलीफ होने लगी।

पंचायत उपनिर्वाचन 2026: संबंधित क्षेत्रों में धारा 163 लागू हथियार, विस्फोटक, आपतिजनक सोशल मीडिया पोस्ट व बिना अनुमति सभा-रैली पर पूर्ण प्रतिबंध

हरिभूमि न्यूज

मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा त्रि-स्तरीय पंचायतों में रिक्त पदों के उपनिर्वाचन (पूर्वाई) 2026 की घोषणा के उपरांत संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो चुकी है। उपनिर्वाचन को स्वतंत्र, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने तथा लोक-परिशांति बनाए रखने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री गुरु प्रसाद ने 'भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023' के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा आदेश जारी किए हैं।

यह आदेश जिले के संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों—ग्राम पंचायत (पंच पद)/वार्ड, जिला पंचायत क्षेत्र के वार्ड क्रमांक 19, विकासखंड बड़वाह की ग्राम पंचायत नावा (सरपंच पद), विकासखंड कसरवाद के जनपद पंचायत सदस्य निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 20 व ग्राम पंचायत सत्राटी (सरपंच पद) तथा विकासखंड खरगोन के जनपद पंचायत सदस्य निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 12 की सीमांतर्गत निर्वाचन परिणाम घोषित होने तक प्रभावशील रहेगा। जारी आदेशानुसार संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थल पर आनयेाख, खतरनाक धारदार हथियार, विस्फोटक सामग्री अथवा पटाखे लेकर नहीं चलेगा और न ही पटाखों का उपयोग करेगा। इसके साथ ही निर्वाचन अवधि के दौरान कांच की बोतलें, ईंट-पत्थर के टुकड़े एवं एसिड का संग्रहण करना अथवा उन्हें साथ लेकर चलना पूर्णतः वर्जित रहेगा। शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए सक्षम अधिकारी (रिटर्निंग अधिकारी) की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का जुलूस, रैली,

आमसभा, वाहन रैली, हेलीकॉप्टर लैंडिंग या टेंट-पंडाल का निर्माण नहीं किया जा सकेगा, और न ही बिना विधिवत अनुमति के लाउडस्पीकर जैसे ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जा सकेगा। सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी सख्त प्रावधान किए गए हैं। फेसबुक, वाट्सएप, ईमेल व अन्य संचार माध्यमों पर किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, दल या व्यक्ति विशेष के विरुद्ध आम लोगों की भावनाएं भड़काने वाले अथवा कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वाले आपत्तिजनक संदेश, चित्र, कमेंट, वीडियो या पोस्टर अपलोड करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा, सुरक्षा के दृष्टिगत कोई भी व्यक्ति नया किराएदार रखने पर उसकी सूचना तत्काल संबंधित थाना प्रभारी को देगा, तथा होटल, लॉज व धर्मशाला प्रबंधकों को भी ठहरने वाले आगंतुकों की दैनिक जानकारी थाने में प्रस्तुत करनी होगी। यह प्रतिबंधात्मक आदेश द्यूटी पर तैनात कार्यपालिक मजिस्ट्रेटों, पुलिस अधिकारियों, शासकीय कर्मचारियों, शवयात्रा अथवा जनाजे तथा विवाह समारोह के पारंपरिक आयोजनों पर लागू नहीं होगा। साथ ही सिख धर्म के अनुयायियों व विवाह के दूल्हा-दुल्हन को नियमानुसार कटार धारण करने की छूट रहेगी। जिला दंडाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है और इसका उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। निर्वाचन अवधि में आम सभा, जुलूस, रोड शो, रैली के आयोजन तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों (लाउडस्पीकर) के उपयोग को विनियमित व शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

प्रातः 6 से रात्रि 10 बजे तक की ही मिलेगी अनुमति

राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आम सभाओं के आयोजन की अनुमति केवल प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे के मध्य ही दी जा सकेगी। सभा की अनुमति में दिनांक, स्थल एवं समय का स्पष्ट उल्लेख रहेगा तथा लाउडस्पीकर का उपयोग धीमी आवाज में करने के सख्त निर्देश रहेंगे। जुलूस एवं रैली की अनुमति में भी प्रारंभ होने का स्थान व समय, गुजरने वाले मार्ग तथा समाप्ति स्थल का पूरा विवरण स्पष्ट रूप से दर्ज किया जाएगा।

■ एक ही स्थान पर दो दलों को एक साथ अनुमति नहीं, 2 घंटे का अंतर रहेगा अनिवार्य शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए स्पष्ट किया गया है कि एक ही स्थान पर एक ही समय में दो अस्थायियों या प्रत्यार्थियों को सभा की अनुमति कतई नहीं दी जाएगी। आयोजित सभाओं के बीच कम से कम 2 घंटे का समयंतराल रखा जाना अनिवार्य होगा ताकि कोई अप्रिय स्थिति निर्मित न हो। इसके अलावा, किसी भी शासकीय या अशासकीय स्कूल के खेल मैदान व परिसर में सभा की अनुमति नहीं दी जाएगी।

■ पंजी में दर्ज होगा आवेदन का समय, उल्लंघन पर होगी विधि सम्मत कार्रवाई राजनीतिक दलों व अस्थायियों से आवेदन प्राप्त होते ही सक्षम अधिकारी उस पर प्राप्ति का दिनांक व समय तत्काल दर्ज करेंगे। जिस दल/अस्थायी द्वारा पहले आवेदन प्रस्तुत किया गया है, उसे प्राथमिकता के आधार पर पहले अनुमति दी जाएगी। इसके लिए कार्यालय में बाकायदा एक पंजी संघरित की जाएगी।